

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019- 6.1/14-20 प्र० ए०

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

राँची, दिनांक :- 25.10.19

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना अन्तर्गत खरकई दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 19.145 पर निर्माणाधीन एक पथीय सेतु के उपर गुजरने वाले बिजली के तार एवं पोल के शिफ्टिंग कार्य के भुगतान हेतु रू० 1,23,476/- (रूपये एक लाख तेइस हजार चार सौ छिहत्तर) मात्र की राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।

- सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यों हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जल संसाधन विभाग के पत्रांक- 19/10-11 दिनांक 14.10.2010 द्वारा प्रदान की गयी है।
- परियोजनान्तर्गत लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-09, घाटशिला, शिविर-गालूडीह के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत खरकई दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 19.145 पर एकपथीय सेतु का कार्य किया जा रहा है। इस प्रमण्डल हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में Ongoing Schemes के लिए रू० 488.94 लाख का कार्यक्रम निर्धारित है।
- खरकई दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 19.145 पर निर्माणाधीन एकपथीय सेतु के उपर से गुजरने वाले बिजली के तार एवं पोल के शिफ्टिंग कार्य के भुगतान हेतु रू० 1,23,476.00 मात्र की राशि Accounts Officer, Electric Supply Circle, Jamshedpur को उपलब्ध कराया जाना है।
- वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत ज्ञाप संख्या- एम०-4-05/98-2561(वि०)(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-15 एवं 16 तथा मुख्य अभियंता, ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर के पत्रांक- 1875 दिनांक 01.08.2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-9, घाटशिला, शिविर गालूडीह को एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	प्रमंडल का नाम	अग्रिम प्राप्तकर्ता	स्वीकृत अग्रिम की राशि
1	2	3	4
1.	कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-9, घाटशिला, शिविर गालूडीह	Accounts Officer, Electric Supply Circle, Jamshedpur	रू० 1,23,476.00
कुल :-			रू० 1,23,476.00

6. अग्रिम निकासी की राशि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आवंटन में वर्णित शीर्ष "मांग सं०-49- जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-45- निर्माण कार्य (49S-4700-80-789-13-05-45) के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटित राशि से भारित होगा।
7. अग्रिम निकासी हेतु आवंटित राशि वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा संबंधित अवधि में राशि व्यय करने के लिये विभाग को सक्षमता है।
8. राशि की निकासी घाटशिला उप कोषागार से की जायगी।
9. अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अनुमति प्राप्त है।
10. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।
11. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अधीक्षण अभियंता, खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/ कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-9, घाटशिला, शिविर गालूडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को (दो प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव